

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर-खीरी

पत्रांक:- 799 / 15-1 (Reliance OFC Cable/41408/2019) दिनांक, लखीमपुर-खीरी, अगस्त, 18 / 2025
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषय:- रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि० लखनऊ द्वारा जनपद-लखीमपुर खीरी में उत्तरी खीरी वन प्रभाग/बफर जोन के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी० 82.20 से किमी० 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-730 (पीलीभीत-बेतिया-आसाम मार्ग) के किमी० 88.00 से किमी० 92.50 एवं राजमार्ग सं०-21 (बिलरॉया-पनवारी मार्ग) के किमी० 1.50 से किमी० 8.60 तथा किमी० 18.70 से किमी० 26.00 तक कुल किमी० 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (Proposal No. FP/UP/Others/41408/2019)

संदर्भ:- आपके कार्यालय की पत्र सं०- 3083/11-सी-FP/UP/Others/41408/2019 दिनांक 27.03.2023
महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के माध्यम से परिवेश पोर्टल 1.0 के प्रस्ताव में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में लगाई गयी शर्तों का प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अनुपालन किया गया है। उक्त के क्रम में उप निदेशक (बफर जोन), दुधवा टाइगर रिजर्व प्रभाग, लखीमपुर-खीरी द्वारा अपने कार्यालय की पत्र संख्या- 759/37-1 दिनांक 08.08.2025 के माध्यम से वचनबद्धता प्रमाण-पत्रों की 03 प्रतियाँ इस कार्यालय में उपलब्ध कराते हुये आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः उप निदेशक (बफर जोन), दुधवा टाइगर रिजर्व प्रभाग, लखीमपुर-खीरी द्वारा उपलब्ध कराये गये वचनबद्धता प्रमाण-पत्रों की तीन प्रतियों में से 02 प्रतियाँ मूल में संलग्न कर आपकी सेवा में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(डा० एच० राजामोहन)

मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर
दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर-खीरी

पत्रांक:- 799/अ, उक्तदिनांकित।

BY E-MAIL ONLY

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. उप निदेशक (बफर जोन), दुधवा टाइगर रिजर्व प्रभाग, लखीमपुर-खीरी को उनके कार्यालय की पत्र संख्या- 759/37-1 दिनांक 08.08.2025 के क्रम में।
2. प्रबन्धक, रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि०, द्वितीय तल, रोहतास के०एस० ट्रिड बिल्डिंग, राणाप्रताप मार्ग, नियर सिकन्दरबाग, चौराहा लखनऊ।

(डा० एच० राजामोहन)

मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर
दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर-खीरी

**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन), दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर-खीरी।**

पत्रांक-759/37-1

दिनांक: लखीमपुर-खीरी:

अगस्त, 08/2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर,
दुधवा टाइगर रिजर्व,
लखीमपुर खीरी।

विषय: रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि० लखनऊ द्वारा जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी० 82.20 से किमी० 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असाम मार्ग) के किमी० 88.00 से किमी० 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी० 1.50 से किमी० 8.60 तथा किमी० 18.70 से किमी० 26.00 तक कुल किमी० 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/OTHERS/41408/2019.

सन्दर्भ: उ०प्र० शासन का पत्रांक- 950/81-2-2023-800(257)/2022, दिनांक- 22.03.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-3083/11-सी-FP/UP/OTHERS/41408/2019, लखनऊ, दिनांक-27.03.2023।

महोदय,

सानुसंधे अवगत कराना है कि उपरोक्त विषयक प्रकरण में निर्गत सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण से बिन्दुवार अनुपालन आख्या मय वांछित प्रमाण पत्र/अभिलेख प्राप्त कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नवत् प्रेषित है :-

क्र० सं०	अधिशेषित शर्तों का विवरण	शर्तों के अनुपालन में की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
2	Full exemption of NPV in case of laying of underground OFC cable provided no felling of tress is involved and area proposed for diversion is outside of Protected Area as per the MOEE&CC Guideline F.No.-5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & revised Guideline F.No.- 5-3/2011-FC (Vol-1) dated 06/01/2022.	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	वांछित FRA प्रमाण पत्र संलग्न है।
5	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
7	No labour camps shall be established on the forest land	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
8	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
9	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
10	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, Department or person without prior approval of Govt. of India	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEE&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

C:\Users\pc\Downloads\Retail Sales (1).doc

पंजीकृत सं० 797
शेषक 23-1
दिनांक 14/08/2025

12	Any other condition that the ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
13	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
14	संबंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
15	ओ10एफ0सी0 केबिल/ टेलीफोन लाइन/ मार्गों/ सड़कों/ वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
16	ओ10एफ0सी0 केबिल/ टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
17	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
18	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
19	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र एवं ग्रीन बेल्ट प्लान संलग्न है।
20	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
21	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
22	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 3544/14-2-2008 लखनऊ दिनांक 23 अगस्त 2008 के अनुपालन में जपपद आगरा में फतेहाबाद-शमशाबाद-आगरा एवं इरादतनगर नगर मार्ग कुल लम्बाई 20 कि.मी. पर वृक्षारोपण कार्य हेतु रु0 10900000/- (एक करोड़ नौ लाख मात्र) ट्रांफ्ट सं0 300246 दिनांक 8.11.2013 को प्रमाणीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा में जमा करा दिया गया है जिसका प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
23	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
24	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
25	भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया है।	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
26	यदि प्रशंगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है तो मा0 उच्च न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
27	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11- 9/98 -एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है।	वांछित भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र संलग्न है।
28	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

29	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हर संभव उपाय करेंगे।	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
30	प्रत्यावर्ती वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
31	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
32	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित है।

अतः उपरोक्तानुसार वांछित समस्त प्रमाण पत्र एवं बिन्दुवार अनुपालन आख्या आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- अनुपालन आख्या 03 मूल प्रति में।

भवदीय,

(सौरीष सहाय)

प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक, बफर जोन, दुधवा टाइगर रिजर्व,
लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक— /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2— प्रबन्धक, रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, द्वितीय तल, रोहतास के0एस0 ट्रिड बिल्डिंग, 06 राणा प्रताप मार्ग, नियर सिकन्दराबाद, चौराहा लखनऊ-226001।

(सौरीष सहाय)

प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक, बफर जोन, दुधवा टाइगर रिजर्व,
लखीमपुर-खीरी।



Reliance Jio

Infocomm Limited

Ref.: RJIL/OFC/NLD/UP-EAST/NORTH KHERI/FOREST/01

Date:- 07-07-2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तर खीरी वन प्रभाग/उप निदेशक (बफर जोन),
दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी, उ०प्र०।

विषय: रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि० लखनऊ द्वारा जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी० 82.20 से किमी० 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असम मार्ग) के किमी० 88.00 से किमी० 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी० 1.50 से किमी० 8.60 तथा किमी० 18.70 से किमी० 26.00 तक कुल किमी० 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

सन्दर्भ: उ०प्र० शासन के पत्रांक सं०- 950/81-2-2023-800(257)/2022, दिनांक- 22.03.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक सं०- 3083/11-सी- FP/UP/OTHERS/41408/2019, लखनऊ, दिनांक- 27.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में उ०प्र० शासन द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश, दिनांक- 27.03.2023 में अंकित समस्त शर्तों की टेबुलर फॉर्म में अनुपालन आख्या का बिन्दुवार निस्तारण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	अनुपालन आख्या	अनुपालन आख्या का निस्तारण
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
2	Full exemption of NPV in case of laying of underground OFC cable provided no felling of tress is involved and area proposed for diversion is outside of Protected Area as per the MOEE&CC Guideline F.No.-5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & revised Guideline F.No.- 5-3/2011-FC (Vol-1) dated 06/01/2022.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित कार्य में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा तथा कार्य के दौरान अगर किसी वृक्ष का पातन किया जाता है तो MOEF&CC Guideline F.No. 5-B/2007-FC dated 05.02.2009 & revised Guideline F.No.- 5-3/2011-FC (Vol-1) dated 06/01/2022, के निर्देशानुसार याचक विभाग द्वारा एन०पी०वी० जमा की जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रकरण में वांछित समस्त धनराशि कैम्पा फण्ड के ई-पोर्टल पर जमा कर दी जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
4	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत FRA प्रमाण-पत्र, याचक विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है एवं प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।
5	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	आवश्यकता नहीं है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
6	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रकरण के ले-आउट प्लॉन में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
7	No labour camps shall be established on the forest land	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान वन भूमि पर कोई श्रमिक कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

(प्रभागीय वनाधिकारी)

उत्तर खीरी वन प्रभाग/
Formerly, Infotel Broadband Services Limited

Local Office Address:- Rontas 'K' Trident Floor, 10-Rana Pratap Marg, Lucknow-226001

दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

पंकज खेर (प्रबन्धक)

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

लखनऊ



Reliance Jio

Infocomm Limited

8	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि श्रमिकों को वैकल्पिक ईंधन, अन्य व्यवस्था आदि की पूर्ति याचक विभाग द्वारा की जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
9	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना की अवधि, प्रयोक्ता अभिकरण के प्रोजेक्ट की अवधि या परियोजना के अवधि के पक्ष में दी जाने वाले पट्टे की अवधि जो भी कम हो पर लागू होगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
10	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, Department or person without prior approval of Govt. of India	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी अन्य एजेंसी, विभाग, या व्यक्ति को प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरित नहीं की जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
11	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEE&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन पाया जाता है तो वन संरक्षण अधिनियम-1980 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार MoEE&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018 के तहत स्वयं उत्तरदायी होंगे। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
12	Any other condition that the ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संरक्षण/सुरक्षा एवं विकास से सम्बंधित शर्त प्रयोक्ता एजेंसी को मान्य है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
13	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रकरण में वांछित समस्त बिन्दुओं पर चाही गयी अनुपालन आख्या ई/पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर उपलब्ध करा दी जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
14	संबंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि संबंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
15	ओ0एफ0सी0 केबिल/ टेलीफोन लाइन/ मार्गों/ सड़कों/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान(Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछायी जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
16	ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
17	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेंच/पिट को भर कर कम्पैक्ट कर दिया जायेगा जिससे कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
18	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
19	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में सहमति दी जाती है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

प्रभागीय पत्राधिकारी
उत्तर प्रदेश जल विभाग

For Jio Fiber Broadband Services Limited"

Local Office Address: 10-Rana Pratap Marg, Lucknow-226001

दुधवा टाइनर रिजर्व
लखनऊ-226001

पंकज खेर (प्रबन्धक)

इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ



Reliance Jio

Infocomm Limited

20	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति ली जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
21	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं लिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
22	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 3544/14-2-2008 लखनऊ दिनांक 23 अगस्त 2008 के अनुपालन में जपपद आगरा में फतेहाबाद-शमशाबाद-आगरा एवं इरादतनगर नगर मार्ग कुल लम्बाई 20 कि.मी. पर वृक्षारोपण कार्य हेतु रु0 10900000/- (एक करोड़ नौ लाख मात्र) ड्रॉफ्ट सं0 300246 दिनांक 8.11.2013 को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा में जमा करा दिया गया है जिसका प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है। (नाम परिवर्तन के पश्चात् नया नाम का प्रमाण प्रस्ताव भी संलग्न है। पूर्व में मेसर्स इंफोटेल् ब्राडबैंड लि0 था एवं वर्तमान में रिलायन्स जियो इंफोकॉम लि0 है)
23	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा भू-स्वामित्व वाले विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है तथा इस पत्र के साथ संलग्न है एवं यह वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
24	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	याचक विभाग के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
25	भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया है।	आवश्यकता नहीं है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
26	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है तो मा0 उच्च न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।	प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं होने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है व जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
27	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98 - एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है।	याचक विभाग द्वारा भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र कम्पनी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

प्रभागीय प्रशासक

Formerly, Infotel Broadband Services Limited

Local Office Address:- Rohtas 'K' Trident, (अफ्रीका) 10-Rana Pratap Marg, Lucknow-226001

दध्या लाइगर रिजर्व
लखनऊ-खीरी

पंकज खर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

लखनऊ

28	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान मक का उत्तसर्जन नहीं होगा अतः मक डिस्पोजल योजना लागू नहीं होती है जिसके संबंधी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है व जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
29	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हर संभव उपाय करेंगे।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना स्थल के आस पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हरसंभव उपाय किया जाएगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
30	प्रत्यावर्ती वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रत्यावर्ती वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक होगा तो भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करा जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
31	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
32	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की बिंदुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	विभागीय स्तर से निस्तारण संबंधी।
33	प्रश्नगत सैद्धांतिक स्वीकृति (Stage-I) प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है।	विभागीय स्तर से निस्तारण संबंधी।

अतः आपसे निवेदन है कि विधिवत स्वीकृति प्रदान करने के कम में अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

(*Signature*)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
Signature दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

भवदीय,
कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खर (प्रबंधक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार 04 प्रतियों में बिन्दुवार अनुपालन आख्या।

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असाम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-1

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या--101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असाम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-2

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित कार्य में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा तथा कार्य के दौरान अगर किसी वृक्ष का पातन किया जाता है तो MOEF&CC Guideline F.NO. 5-B/2007-FC dated 05.02.2009 के निर्देशानुसार याचक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 जमा की जायेगी।


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
 दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी


कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

शुद्ध वर्तमान मूल्य (नेट प्रजेन्ट वैल्यू) हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र

भारत सरकार द्वारा निर्गत शासन आदेश संख्या F.No.5-3/2007-FC, दिनांक 05.02.2009 एवं F.No.5-3/2011-FC(Vol-1), दिनांक 06.01.2022 द्वारा भुमिगत आप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (नेट प्रजेन्ट वैल्यू) से पूर्ण रुप से छूट दी गयी है, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28.03.2008 एवं 09.05.2008 के अनुसार प्रभावी रहेगी, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या भारत सरकार या माननीय न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों का भी अनुपालन पूर्ण रूपेण किया जायेगा।

सधन्यवाद।


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खोरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खोरी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खेर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

9-2-07
F. No. 5-3/2007-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests
(FC Division)

पृ. नं. 390
पार्यावरण भवन,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110 510.
Dated : 05.02.2009.

23

To
The Principal Secretary / Secretary (Forests),
All State / UT Governments.

Sub: Guidelines for diversion of forest land for non-forestry purposes under Forest (Conservation) Act, 1980 - Guidelines for collection of Net Present Value (NPV).

Sir,

The Ministry of Environment and Forests, Government of India has been receiving representations from different States seeking detailed clarification and guidelines on the above mentioned subject in the light of the Supreme Court Judgment dated 28.03.2008 revising the general rates of NPV and various other orders defining differential rates for various categories of projects.

After careful examination of the issue, I am directed to inform that the Hon'ble Supreme Court of India vide its judgement dated 28.03.2008, has re-fixed the rates of Net Present Value (NPV) on the basis of scientific data taking in view the ecological role and value of the forests. The 16 major forest types have been re-grouped into 6 ecological classes depending upon their ecological functions.

- | | |
|---------------|---|
| Eco-Class I | Consisting of Tropical Wet Evergreen Forests, Tropical Semi Evergreen Forests and Tropical Moist Deciduous Forests |
| Eco-Class II | Consisting of Littoral and Swamp Forests |
| Eco-Class III | Consisting of Tropical Dry Deciduous Forests |
| Eco-Class IV | Consisting of Tropical Thorn Forests and Tropical Dry Evergreen Forests |
| Eco-Class V | Consisting of Sub-tropical Broad Leaved Hill Forests, Sub-Tropical Pine Forests and Sub Tropical Dry Evergreen Forests |
| Eco-Class VI | Consisting of Montane Wet Temperate Forests, Himalayan Moist Temperate Forests, Himalayan Dry Temperate Forests, Sub Alpine Forest, Moist Alpine Scrub and Dry Alpine Scrub |

Based on the ecological importance of forest falling in different eco-value and canopy density classes, relative weight age factors have also been taken into consideration. By using these relative weight age factors, the equalized forest area in eco-value Class-I and very dense forest corresponding to forest falling in different eco-value and density classes have been compiled. The net present value per hectare of forest has been fixed based on this data. For calculating the average net present value per hectare of forest in India, the following monetary value of goods and services provided by the forest have been considered:-

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग /
उप निदेशक (बफर जोन)
दुधवा टाहगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

- (ii) Value of Non Timber Forest Products (NTFP)
- (iii) Value of fodder
- (iv) Value of Eco-tourism
- (v) Value of bio-prospecting
- (vi) Value of Ecological services of forest
- (vii) Value of Flagship Species
- (viii) Carbon Sequestration Value

Based on the above, the NPV was fixed and the following recommendations have been made by the Hon'ble Supreme Court of India:-

- (i) For non-forestry use / diversion of forest land, the NPV may be directed to be deposited in the Compensatory Afforestation Fund as per the rates given below:-

Eco-Value	Class and NPV rates in Rs.					
	Class I	Class II	Class III	Class IV	Class V	Class VI
Very Dense Forest	10,43,000	10,43,000	8,87,000	6,26,000	9,39,000	9,91,000
Dense Forest	9,39,000	9,39,000	8,03,000	5,63,000	8,45,000	8,97,000
Open Forest	7,30,000	7,30,000	6,26,000	4,38,000	6,57,000	6,99,000

N.B. The NPV rate fixed would hold good for a period of three years and is subject to variation after three years as per the Supreme Court's judgement dated 28.03.2008.

- (ii) The use of forest land falling in National Parks / Wildlife Sanctuaries will be permissible only in totally unavoidable circumstances for public interest projects and after obtaining permission from the Hon'ble Court. Such permissions may be considered on payment of an amount equal to ten times in the case of National Parks and five times in the case of Sanctuaries respectively of the NPV payable for such areas. The use of non-forest land falling within the National Parks and Wildlife Sanctuaries may be permitted on payment of an amount equal to the NPV payable for the adjoining forest area. In respect of non-forest land falling within marine National Parks / Wildlife Sanctuaries, the amount may be fixed at five times the NPV payable for the adjoining forest area.

The Hon'ble Supreme Court of India vide its order dated 24.04.2008 and 09.05.2008, has also exempted certain category of projects as per the details given below:

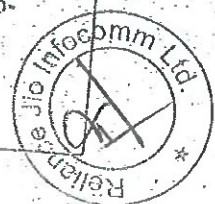
Sl. no.	List of Activities/Projects	Exemption Levels for NPV (as percentage of full chargeable NPV)	Remarks
1	(i) Schools (ii) Hospitals (iii) Children's play ground of non-commercial nature (iv) Community centers in rural areas	Full exemption up to 1.00 ha of forest land provided: (a) no felling of trees is involved; (b) alternate forest land is not available; (c) the project is of non-commercial	As per Hon'ble Supreme Court Order dated 09.05.2008 regarding correction of the judgment dated 28.03.2008.


प्रभागीय वनाधिकारी
 उत्तर खीरी वन प्रभाग /
 उप निदेशक (बफर जोन)
 दुधवा टाइगर रिजर्व
 लखीमपुर-खीरी

(Over-head tanks) (vi) Village tanks	nature and is part of the Plan/Non-Plan Scheme of Government; and	
(vii) Laying of underground drinking-water pipeline up to 4" diameter and	(d) the area is outside National Park/Sanctuary.	
(viii) Electricity distribution line upto 22 KV in rural areas.	Full exemption	-do-
2. Relocation of Villages from the National Parks / Sanctuaries to alternate forest land	Full exemption provided: - (a) area is outside National Park/Sanctuary;	-do-
3. Collection of boulders / silts from the river belts in the forest area	(b) no mining lease is approved/signed in respect of this area; (c) the works including the sale of boulders/silt are carried out departmentally or through Government undertaking or through the Economic Development Committee or Joint Forest Management Committee; (d) the activity is necessary for conservation and protection of forests; and (e) the sale proceeds are used for protection/ conservation of forests	-do-
4. Laying of underground optical fibre cable	Full exemption provided: (a) no felling of trees is involved; and (b) areas falls outside National Park/Sanctuary	-do-
5. Pre-1980 regularisation of encroachments and conversion of forest villages into revenue villages	Full Exemption provided these are strictly in accordance with MOEF's Guidelines dated 18.09.1990.	-do-

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, राजावा

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (वफर जोन)
दुधवा टाडगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी



26

	Field Firing Range	50% of the NPV of the entire area. Full Exemption provided: (a) no felling of trees are involved; and (b) no likelihood of destruction of forest is involved.	-do- As per Hon'ble Supreme Court Order dated 24.04.2008.
8.	Wind Energy Projects	50% of the minimum rate of the NPV irrespective of the eco-class in which the project lies provided minimum tree felling is involved.	-do- and CEC clarification dated 22.12.2008.

In case of any other category seeking exemption from payment of NPV, the State Government / User agency may approach Hon'ble Supreme Court of India as per its order dated 24.04.2008 & 09.05.2008.

This issues with the approval of competent authority.

(C.D. Singh)
Sr. Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The Principal Chief Conservator of Forests, All States / UT's.
2. The Nodal Officer (FCA), O/o the PCCFs, All States / UT's.
3. All Regional Offices of MoEF located at Bhopal, Shillong, Bangalore, Bhubaneswar, Lucknow and Chandigarh.
4. The RO (HQ), MoEF, New Delhi.
5. Monitoring Cell, FC Division, MoEF, New Delhi.
6. Guard File.

(C.D. Singh)
Assistant Inspector General of Forests

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग /
उप निदेशक (बफर जोन)
दुधवा टाइगर रिजर्व
बखीमपुर-खीरी

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira
Paryavaran Bhavan, Aliganj, Jorbagh Road
New Delhi-110 003
Date: 6th January, 2022

To

The Additional Chief Secretary (Forest)/Principal Secretary (Forest),
All States Governments/ Union Territory Administration

Sub: Revision of rates of Net Present Value – reg

Sir,

I am directed to invite your attention to Hon'ble Supreme Court's order dated 28.03.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1996 in the matter of T. N. Godavarman Thirumalpad vs. Union of India and Ministry' guidelines dated 05.02.2009 wherein rates to Net Present Value (NPV) to be realized in lieu of diversion of forest land have been fixed based on the outcome scientific assessment of ecosystem goods and services. Hon'ble Supreme Court in the said order has also directed the MoEF&CC for upward revision of the NPV rates.

2. In compliance of order dated 28.03.2008 of Hon'ble Court and with the approval of the competent authority, the following revised NPV rates have been prescribed for levying NPV in lieu of diversion of forest land:

Table: Revised NPV rates based on fitment factor of 1.53

(in Rs.)

Eco-Class	Very Dense	Dense	Open
Class-I	1595790	1436670	1116900
Class-II	1595790	1436670	1116900
Class-III	1357110	1228590	957780
Class- IV	957780	861390	670140
Class-V	1436670	1292850	1005210
Class-VI	1516230	1372410	1069470

Eco-Class-I:	Tropical Wet Evergreen Forests, Tropical Semi-evergreen Forests and Tropical Moist Deciduous Forests
Eco-Class-II:	Littoral and Swamp Forests
Eco-Class-III:	Tropical Dry Deciduous Forests
Eco-Class-IV:	Tropical Torn Forests and Tropical Dry Evergreen Forests
Eco-Class-V:	Sub-tropical Broad-Leaved Hill Forests, Sub-Tropical Pine Forests and Sub-Tropical Dry Evergreen Forests
Eco-Class-VI:	Montane Wet Temperature Forests, Himalayan Moist Temperature Forests, Himalayan Dry Temperature Forests, Sub Alpine Forest, Moist Alpine Scrub and Dry Alpine Scrub

3. NPV shall be charged to the extent of ten times of the normal NPV payable in the case of National Parks and five times in the case of Sanctuaries. The use of non-forest land falling within the National Parks and Wildlife Sanctuaries may be permitted on payment of an amount equal to the NPV payable for the adjoining forest area. In respect of non-forest land falling within marine National Parks / Wildlife Sanctuaries, the amount shall be five times the NPV payable for the adjoining forest area;

4. The proposals under the following categories are exempted from NPV to the extent as mentioned in the list below:

Category	Conditions
i. Schools	Full exemption upto 1 ha. of forest land, provided: a. no felling of trees is involved; b. alternate forest land is not available; c. the project is of non-commercial nature and is part of the Plan/Non-Plan Scheme of Government; and d. the area is outside National Park/ Sanctuary
ii. Hospitals	
iii. Children's playground of non-commercial nature.	
iv. Community centres in rural areas.	
v. Over-head tanks	
vi. Village tanks	
vii. Laying of underground drinking water, irrigation and PNG pipeline upto 4 inch diameter	
viii. Electricity distribution line upto 22 KV in rural areas.	

ix. Relocation of villages from the National Parks/ Sanctuary to alternate forest land	Full exemption	
x. Collection of boulders/silts from the river belts in the forest area.	Full exemption, provided:- (a) area is outside National Park/ Sanctuary; (b) no mining lease is approved/signed in respect of this area; (c) the works including the sale of boulders/silt are carried out departmentally or through Government undertaking or through the Economic Development Committee or Joint Forest Management Committee; (d) the activity is necessary for conservation and protection of forests; and (e) the sale proceeds are used for protection/conservation of forests.	
xi. Laying of underground optical fiber cable	Full exemption, provided: (a) no felling of trees is involved; and (b) area falls outside National Park / Sanctuary.	
xii. Pre-1980 regularization of encroachments and conversion of forest villages into revenue villages	Full exemption provided these are strictly in accordance with MoEF&CC's Guidelines dated 18.9.1990.	
xiii. Underground mining	Surface strain predicted by 3-D subsidence prediction model	NPV to be paid
	i. Up to 5mm/m	NIL
	ii. 5mm to 10 mm/m	10% of normal rates
	iii. 10mm/m to 15 mm/m	25% of normal rates
	iv. 15 mm/m to 20 mm/m	50% of normal rates
	v. more than 20 mm/m	At Normal rates

xiv.Wind Power Projects	50% at the minimum NPV rate, provided, minimal tree felling is involved, irrespective of the eco-class in which the project lies.
xv.Hydroelectric Projects up to 25 MW capacity	50% of the applicable rates of the forest land actually diverted for setting up of such projects, provided, the project involves felling of not more than 5 trees per hectare.
xvi.Field Firing Range (FFR) of Defence Ministry not involving felling of trees and no likelihood of destruction of forests	At the rate of 20 % of the normal rates of NPV for the forest areas falling within the impact zone. The forest areas falling within safety zone of FFRs shall be fully exempted from the requirement of payment of NPV
xvii.The area of riverbed in a proposed water reservoir, that is to be under permanent submergence throughout the year	50 per cent of the normal rate applicable to the area.

Yours faithfully,

Sd/-

(Sandeep Sharma)

Asst. Inspector General of Forests

Copy to:

1. The Principal Chief Conservator of Forests, All State Governments/UTs
2. The Nodal Officer (FCA), Office of the PCCF, All State Governments/UTs
3. The Regional Officer, All Integrated Regional Offices of the MoEF&CC
4. Monitoring Cell, FC Division, MoEFCC, New Delhi
5. Guard File

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असाम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या-- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-3

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रकरण में वांछित समस्त धनराशि कैम्पा फण्ड के ई-पोर्टल पर जमा कर दी जायेगी।


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
 दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी


कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-4

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत FRA प्रमाण-पत्र, याचक विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है एवं प्रति संलग्न है।

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
दुधवा टाईगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

FORM-II

(for linear projects other than plantations)

[Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of Uttar Pradesh

Office of District Collector

Lakhimpur Kheri

No.....**B6**.....

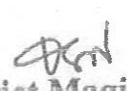
Date: **04-7-2025**

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment Forest & Climate Change (MOEP&CC) Government of India's Letter No.11-09/98- FC (pt) dated 28 October 2014. It is to certify that 0.5924 Ha. of Protected forest land is proposed to be diverted in favour of Reliance Jio Infocom Limited, Lucknow for laying of Optical Fiber Cable (OFC) along Palia-Khajuria-Trikauliya Road from Km. 82.00 to 119.50, SH-730 (Pilibhit-Betia-Asham Road) Km. 88.00 to 92.50 & from NH-21 (Belrayan-Panwari Road) Km. 1.50 to 8.60 & 18.70 to 26.00 Total 56.20 Km. in Forest Division, North Kheri/Buffer Zone, Dudhwa Tiger Reserve, Lakhimpur Kheri (U.P.)

It is to further certify that the forest land proposed to be diverted is Protected Forest which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13 day of September 2005 and is located in the Villages having no recorded population of Scheduled Tribes, Primitive Tribal Groups and Pre Agricultural Communities.


Divisional Forest Officer,
North Kheri Forest Division/Buffer Zone,
Dudhwa Tiger Reserve, Lakhimpur-Kheri
दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी


District Magistrate
Lakhimpur Kheri
दुर्गा शक्ति नागपाल
जिलाधिकारी
लखीमपुर-खीरी

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-5

याचक विभाग यह वचनबद्धता दी जाती है सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।


प्रभागिय वनाधिकारी
उत्तर खोरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खेर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-6

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रकरण के ले-आउट प्लॉन में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा।


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
 दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी


कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-7

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान वन भूमि पर कोई श्रमिक कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा।


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी


कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौंया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-8

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि श्रमिकों को वैकल्पिक ईंधन, अन्य व्यवस्था आदि की पूर्ती याचक विभाग द्वारा की जायेगी।


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग /
उप निदेशक (बफर जोन)
 दुधवा टाहगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-9

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना की अवधि, प्रयोक्ता अभिकरण के प्रोजेक्ट की अवधि या परियोजना के अवधि के पक्ष में दी जाने वाले पट्टे की अवधि जो भी कम हो पर लागू होगा।


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग /
उप निदेशक (बफर जोन)
 दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असाम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-10

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी अन्य एजेंसी, विभाग, या व्यक्ति को प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरित नहीं की जायेगी।


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
दुधवा टाङ्गर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असाम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-11

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन पाया जाता है तो वन संरक्षण अधिनियम-1980 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार MoEE&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018 के तहत स्वयं उत्तरदायी होंगे।


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असाम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-12

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संरक्षण/सुरक्षा एवं विकास से सम्बंधित शर्त प्रयोक्ता ऐजेन्सी को मान्य है।


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
 दुधवा टाइनर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी


कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खेर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-13

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रकरण में वांछित समस्त बिन्दुओं पर चाही गयी अनुपालन आख्या ई/पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) पर उपलब्ध करा दी जायेगी।


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खेर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-14

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि संबंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।


प्रभागीय कर्ताधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग /
उप निदेशक (बफर जोन)
दूधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खन्ना (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-15

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछायी जायेगी।


प्रभागीय कनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
 दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-16

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असाम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-17

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेन्च/पिट को भर कर कम्पेक्ट कर दिया जायेगा जिससे कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।


प्रभागीय क्षेत्राधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
 दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-18

याचक विभाग यह वचनबद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी एवं परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।


प्रभागीय वन अधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
 दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असाम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-19

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में सहमति दी जाती है।


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
 दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-20

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति ली जायेगी।


प्रभागीय बनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
दुधना हाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खेर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असाम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-21

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं लिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।


प्रमाणीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
एच दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी


कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-22

याचक विभाग द्वारा सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 3544/14-2-2008 लखनऊ दिनांक 23 अगस्त 2008 के अनुपालन में जपपद आगरा में फतेहाबाद-शमशाबाद-आगरा एवं इरादतनगर नगर मार्ग कुल लम्बाई 20 कि.मी. पर वृक्षारोपण कार्य हेतु रू0 10900000/- (एक करोड़ नौ लाख मात्र) ब्रॉफ्ट सं0 300246 दिनांक 8.11.2013 को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा में जमा करा दिया गया है जिसका प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है। (नाम परिवर्तन के पश्चात् नया नाम का प्रमाण प्रस्ताव भी संलग्न है। पूर्व में मेसर्स इंफोटेल् ब्राडबैंड लि0 था एवं वर्तमान में रिलायन्स जियो इंफोकॉम लि0 है)।


प्रभागीय/प्रमाणिकारी
उत्तर खीरी बन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
 दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी


कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रेषक,

संख्या-3678/14

संजय सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

2-मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

वन अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 20 अक्टूबर, 08

विषय:- आण्टिकल फाइबर केबिल का बिछाये जाने के दौरान 20 किमी०
कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-2544/14-2
दिनांक 23-8-2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वन सभा में कृपया शासन के पत्र संख्या-2544/14-2
दिनांक 23-8-2008 एवं 12-11-2008 में ओ०एफ०सी० बिछाये जा
कम्पनियों से 20 किमी० तीन लाइनों में वृक्षारोपण प्रदेश के किसी एक र
कराये जाने की शर्त लगायी गयी थी। सम्प्रति शासन के संज्ञान में यह आर
महोदय पत्रों द्वारा प्रत्येक गिल्लिय वर्ग में 20 किमी० तीन लाइनों में वृक्षार
धनराशि की मांग सम्बंधित कम्पनियों से की जा रही है, जो निर्गत शासनादेश
23-8-2008 एवं 12-11-2008 से निपटित है।

3- अतः इस सम्बंध में पुनः मुझे कहने का निदेश हुआ है कि ओ०ए
बिछाये जाने वाली प्रत्येक कम्पनी को केवल एक ही बार (One Time) 20
तीन लाइनों में वृक्षारोपण प्रदेश के किसी एक स्थान पर कराया जाना होगा।
के अनुसार प्रदेश में किसी एक स्थान पर वृक्षारोपण कराये जाने के पश्चात् उ
इस कार्य करने हेतु अपेक्षा नहीं की जायेगी।

4- कृपया तदनुसार सर्वसम्बंधित को अपने स्तर से भी सूचित करने व
करें।

भवदीय,

(संजय सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1)-समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
- (2)-समस्त वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
- (3)-समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- (4)-मार्ग फाइल।

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
आज्ञा से,

संख्या- 4662-14-2- /25

प्रेषक,

पवन कुमार,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अमुख्य वन संरक्षक,

उत्तर प्रदेश,

लखनऊ ।

वन अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक: 12-11-08

विषय:- ओ०एफ०सी० बिछाये जाने के दौरान 20 कि०मी० वृक्षारोपण कराया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-2544/14-2-08 दिनांक 23- सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उक्त 23-8-08 द्वारा प्रत्येक कम्पनी से प्रदेश में एक स्थान पर 20 कि०मी० तीन लाइन सुनिश्चित कराने के निदेश निर्गत किये हैं । उक्त शासनादेश निर्गत के पूर्व ओ०एफ०सी० की अनुमति सम्बन्धी प्रत्येक शासनादेश में 20 कि०मी० वृक्षारोपण किये जाने की शर्त सा अतः सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश दिनांक 23-8-08 के स्तर से निर्गत शासनादेश भी इस शासनादेश से ही आच्छादित होंगे तथा उन्हें भी पूरे प्रदेश में 20 कि०मी० वृक्षारोपण तीन लाइन में लगाया जाना होगा । अर्थात् प्रत्येक ओ०एफ० सी० कम्पनी को पूरे प्रदेश में एक स्थान पर 20 कि०मी० तीन लाइन में वृक्षारोपण कराया ।

3-

कृपया उपरोक्तानुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(पवन कुमार)

सचिव

संख्या-

/14-2-2008 तदुदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र० ।
- 2- समस्त वन संरक्षक, उ०प्र० ।
- 3- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ०प्र०
- 4- गार्ड फाइल ।

वाच लि

2059/22-1
24.11.08

आज्ञा से,

(पवन कुमार)
सचिव

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 2424 / 5-1 दिनांक : आगरा : 28, जनवरी, 2017

सेवा में,

प्रबन्धक,
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि०।

विषय : जनपद आगरा में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के अन्तर्गत 20 कि०मी० क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-3544/14-2-2008 लखनऊ दिनांक 23 अगस्त 2008 के अनुपालन में जमा की गयी धनराशि का सत्यापन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक RJIL/OFC/NLD/WEST/UP/AGRA/FOREST/01 दि० 21.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा 20 कि०मी० क्षेत्र में वृक्षारोपण करने हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या-846850 एच०डी०एफ०सी० बैंक, आगरा रू० 1,09,00,000.00 (रू० एक करोड़ नौ लाख मात्र) दिनांक 03.05.2012 इस कार्यालय द्वारा कोषागार में जमा नहीं किया गया है। अपितु आपके पत्रांक रिक्त दिनांक 08.11.2013 द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या-300246 एच०डी०एफ०सी० बैंक, आगरा रू० 1,09,00,000.00 (रू० एक करोड़ नौ लाख मात्र) दिनांक 08.11.2013 इस कार्यालय द्वारा दिनांक 08.11.2013 को भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, आगरा में जमा किया गया है।

भवदीय

(कृष्ण कुमार सिंह)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक / दिनांकित

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फैजाबाद को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कृष्ण कुमार सिंह)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

Reliance Jio
Infocomm Limited

To

Date

8/11/13

Mr. Agni.

Sub Reference to our application for laying OFC from

To for total length of 206m Plantation Km in your jurisdiction.

Ref Your Demand Note letter no Dated

Dear Sir,

Reference the subject, herewith, we are enclosing the following payments.

1 DD amount Rs 10980000 DD No. 300246 Dated 8/11/13 Issuing

Bank BDFC Issued in favour of PRABHAGIYA NIDESHW
SARASWATI VENTURE PRABHAGI

2 Bank Guarantee Issued in favor of
Rs valid till Date Issuing Bank

Note Kindly Acknowledge the same on a Duplicate Copy.

Reliance Jio Infocomm Limited

8/11/13, Authorized Signatory



प्रभागीय ब्राधिकारी

उत्तर खीरी वन प्रभाग /

उप निदेशक (बकर जोड़)

दुधवा टाइगर रिजर्व

लखीमपुर-खीरी

पंकज खरे (प्रबन्धक)

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

लखनऊ

For further communication please contact Mr. Sanjeev Pathak 00910256569

17/01/PSI, 7/B, Lower Ground, IFCO Road, Sector लखीमपुर-खीरी, Dist. Jyoti, Pin-122015, INDIA. E-mail: Sanjeev.pathak@hfccl.com

"Formerly, Infotel Broadband Services Limited"

Regd. Office: 1st Floor, Midan Chambers, 100, 101, Naraina Point, Mayapuri, New Delhi-110028, India. Tel: 011-262283300

HDFC BANK

Cash Management Services - Payments

MAIL TO

PRABHAGIYA NIDESHAK SAMAJIK VANIKI PRABHAG, AGRA

BY ORDER OF

RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED

Reliance Corporate Park,
Gr Floor.MAB, 5-TTC industrial
area,Ghansoli, NAVI Mum - 701

Instrument Date : 08/11/2013

Instrument No.: 300246

Amount Rs.*1,09,00,000.00

4200030956

HDFC BANK

PAYINST DRAFT

VALID FOR THREE MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE

0 8 1 1 2 0 1 3

PRABHAGIYA NIDESHAK SAMAJIK VANIKI PRABHAG, AGRA

ON DEMAND PAY

ONE CRORE NINE LAKHS ONLY

RUPEES

OF ORDER
₹ 1,09,00,000.00

FOR HDFC BANK LTD.

प्रभागीय वनाधिकारी

उत्तर खीरी वन प्रभाग/

उप निदेशक (बफर जोन)

दुधवा टाइगर रिजर्व

लखीमपुर-खीरी

Payable at Par at all Clearing Branches
of HDFC Bank Ltd. in India.

Centralised Clearing :Agra

DRAWEE BRANCH

300246

ISSUING BRANCH

मंजु खर् (प्रबन्धक)

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
AUTHOISED SIGNATURE
लखीमपुर

300246 0002400000 999998 16

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-23

याचक विभाग द्वारा भू-स्वामित्व वाले विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है एवं यह वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
 दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी

पत्रांक 1129
सेवा में,

/ N.O.C

दिनांक :- 22-9-20

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड,
रोहतास के0ट्राइडेण्ट, द्वितीय तल,
10- राना प्रताप मार्ग, लखनऊ।

विषय:- भानपुर-पलिया-निघासन मार्ग के कि0मी0- 38 के अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपके पत्र का दिनांक 21.08.2020

महोदय,

अवगत कराना है कि खण्ड द्वारा पत्र संख्या-575/ एन0ओ0सी0, दिनांक 23.05.2018 द्वारा भानपुर-पलिया-निघासन, जो कि सिसैया-धौरहरा-निघासन-पलिया-धनौराघाट-पूरतपुर (राज्य मार्ग संख्या-101) है। इस मार्ग पर आपको पूर्व में कि0मी0- 82.00 से 120.00 कुल 38 कि0मी0 की अनुमति ओ0एफ0सी0 केबिल डालने हेतु एन0ओ0सी0 खण्ड द्वारा जारी की जा चुकी है।


प्रभागीय बनाधिकारी
उत्तर खीरी बन प्रभाग/
उप निदेशक (बकर जोन)
दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी।


पंकज खर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

पत्रांक: 575 / N.O.C दिनांक: 23-4-18
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी

पत्रांक: 575

/ N.O.C

दिनांक: 23-4-18

सेवा में,

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0
फार्मेली इन्फोटेक ब्राडबैंड सर्विसेज लि0
10-रत्ना प्रताप मार्ग
लखनऊ।

विषय :- भानपुरी-पलिया-निघासन मार्ग किमी0-38 ओ0एफ0सी0 केबिल डालने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक RJIL/OFC/NLD/EAST/UP/BG/211 दिनांक 25.04.2018

महोदय,

विषयवर्तित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा इस कार्यालय के पत्रसंख्या 307/सी0-1 दिनांक 17.03.2018 के अनुपालन में विषयक मार्ग पर ओ0एफ0सी0 केबिल डालने हेतु अनुमति के लिए आवश्यक वांछित दस्तावेजों की बैंक गारन्टी इस खण्ड में रत्ना करायी गयी है। बैंक गारन्टी संख्या 0541BGR00020519 of ICICI Bank Ltd. dated 17-04-2018 for Rs. 419520.00 एवं डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या 518997 रु0 38000.00 of HDFC Bank Ltd. dated 09-05-2018 अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, खीरी के पक्ष में बनायी गयी है।

आपके द्वारा ओ0एफ0सी0 केबिल डालने हेतु अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

1. ऑप्टिकल फाइबर केबिल डालने का कार्य मार्ग की लेपित सतह के किनारे अधिकतम दूरी फुटपाथ/कच्चे मार्ग पर की जाये।
2. ऑप्टिकल फाइबर केबिल डालने हेतु कच्चे मार्ग में खोदे गये गड्ढों का रैस्टोरेशन कम्पनी(गो रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0) द्वारा कटिंग पूर्ण होने के पश्चात अधिकतम 72 घण्टों में विभाग की विशिष्टियों के अनुसार किया जायेगा। निर्धारित अवधि के अनुपालन न होने की स्थिति में रैस्टोरेशन कार्य विभाग द्वारा करा लिया जायेगा एवं व्यय की गयी धनराशि की वसूली जमा बैंक गारन्टी से कर ली जायेगी।
3. ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढों को बेरिकेटिंग/टीन लगाकर सुरक्षित किया जायेगा ताकि व्यक्ति/बच्चा/जानवर आदि गिर न जाय। सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्ण उत्तरदायित्व कम्पनी का होगा।
4. मार्ग पर केबिल डालते समय आवश्यक मार्गदर्शक तथा अन्य सुरक्षा सम्बन्धी प्रवन्ध रिलायन्स जियो द्वारा कराये जायें एवं कार्य करते समय गतायात को कोई अस्तुति न हो।

1 letter new.

प्रभागीय वनाधिकारी

उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)

दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

लखनऊ

पंकज खर (प्रबन्धक)

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

लखनऊ

5. केबिल की स्थापना मरम्मत सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन के समय या पश्चात जनसुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व कम्पनी का होगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना/क्षति और उसके परिणामों के लिए कम्पनी जिम्मेदार होगी। कम्पनी द्वारा समस्त सुरक्षा उपायों का प्रयोग किया जायेगा।
6. प्रदान की गयी अनुमति विषयांकित भाग के लिए ही मान्य होगी
7. मार्ग के रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण हो जाने के 6 माह पश्चात बैंक गारन्टी वापस की जायेगी।
8. फर्म द्वारा केबिल न्यूनतम 1.50मी० की गहराई पर डाली जाये।
9. अनुमति पत्र रोड काटने के समय कटिंग एजेंसी अपने साथ रखेगी ताकि आवश्यकता के समय माँगे जाने पर प्रस्तुत किया जा सकें।
10. जब भी विभाग का मार्ग चौकीकरण एवं अन्य कारणों से उक्त स्थल की आवश्यकता होगी तो केबिल/ पाइप लाइन आदि डालने वाले विभाग/ कम्पनी फर्म को उक्त केबिल/पाइप लाइन आदि अपने खर्च पर हटाकर पूर्ण स्थिति में विभाग को उक्त स्थल सफलता कराना होगा।
11. प्रस्तावित रोड कटिंग से सम्बन्धित यदि किसी अन्य विभाग की अनुमति की आवश्यकता हो तो यह आवेदक को स्वयं अपने स्तर पर लेनी होगी, जिसका विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
12. रोड कटिंग का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व केबिल/पाइप लाइन डालने वाले अन्य विभागों से आपसी समन्वय स्थापित करने के पश्चात ही रोड कटिंग का कार्य प्रारम्भ किया जाय जिससे कि मार्ग पर पूर्ण से पड़ी केबिल/पाइप लाइनों के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना न हो।
13. रोड कटिंग का कार्य अनुमति जारी रखने की तारीख से एक माह के अन्दर ही कराना होगा। उसके बाद यह अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3 लो०नि०वि०
लखीमपुर-खीरी

पत्रांक:

प्रतिलिपि :-

दिनांक:

1. सहायक अभियन्ता प्रथम/द्वितीय निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०, खीरी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री मनोज कुमार लोधी कैशियर निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०, खीरी को बैंक गारन्टी (मूल में) सुरक्षित रखे जाने हेतु।

1 letter new.

प्रभागी वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बकर जोन)
दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3 लो०नि०वि०
लखीमपुर-खीरी

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी

पत्रांक:- 536 / Optical Fiber Cable / NOC
सेवा में,

दिनांक :- 24/08/2020

✓ मैनेजर रिलायंस जियो
इन्फोकॉम लिमिटेड,
रोहतास 'के' ट्राइडेन्ट, द्वितीय तल
रानाप्रताप, लखनऊ-226001

विषय:-

Permission to lay optical fiber cable along with NH-730, from Km 135.70 to Km 73.20 & from Km 135.00 to Km 226.00

सन्दर्भ:-

Your letter no RJIL/OFC/NLD/EAST/UP/Lakhimpur-Kheri/NH-PWD/01 dated 19-08-2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में आप द्वारा चाही गई सूचना जो इस कार्यालय के पत्रांक:- 533/एन0एच-730/ओ0एफ0सी0 दिनांक 06.11.2015 एवं पत्रांक:- 115/ओ0एफ0सी0/एन0ओ0सी0/20015-16 दिनांक 15.03.2016 द्वारा आपको पूर्व में प्रेषित की गई थी, उक्त पत्रों की छायाप्रति एवं पत्रांक:- 115/ओ0एफ0सी0/एन0ओ0सी0/2015-16 दिनांक 15.03.2016 के संलग्नक (एनेक्जर) की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

प्रभागीय विनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी

पंचकज खर- (प्रबन्धक)
रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER

N.H. DIVISION, PWD,

LAKHIMPUR-KHERI

Letter no.... **533 / N.H.730 / OPE**
To,

Date: **6.11.15**

**M/S Reliance Jio Infocomm Ltd.
Rohtas "K" Trident, 2nd Floor, 10-Rana
Pratap Marg, Lucknow.**

**Sub:- Permission to lay optical fibre cable along road site of NH-730 from Ch-
Ch-135.70 to Km 73.20.**

**Ref:- RJL/OFC/INTERCITY/EAST/UP/LAKHIMPUR TO KHUTAR/PWD/40 DATE-
08.09.2015**

This is to inform you with reference to above mentioned letter that stretch of NH-730 from chainage 88.00 to 228.40 falls under the jurisdiction of this division. You have sought the permission to lay OFC along the above NH-730 from chainage 73.20 to 135.70.

We are therefore allowing you to lay OFC along the road from chainage 88.00 to 135.70 with following conditions. For remaining length from chainage 73.20 to 88.00 you may approach NH-Division, PWD Bareilly.

- (i) Only Horizontal Directional Drilling (HDD) Technique will be used to lay OFC.
- (ii) To lay OFC by HDD method, pit should be dug at interval of not less than 200 m in straight reaches and size should be restricted to 2.00 m X 2.00 m X 1.50 m. Any deviation in the sizes must be intimated to this office in advance. All precautions like barricading and installation of cautionary board etc. should be placed around pits to avoid any accident. After laying of OFC, pits should be properly restored and well compacted.
- (iii) OFC must be laid along the outermost boundary of road i.e. along the outermost edge of Right of way (ROW). In no case it should be less than 12 m from the centre of road as shown in the line diagram submitted by you.
- (iv) Permission, if any, required from other governmental Agency like Nagar Panchayat/Nagar Palika Parishad or forest department, will be obtained prior to commencement of work.
- (v) In case of future widening of road, If laid OFC is required to be shifted, the company will be deemed bound to do so without any cost to the department.
- (vi) While laying OFC by HDD method, or excavating the pits, it should be ensured that no damage is done to other services like water supply, underground cables etc. If any such damage is met with, it should be repaired/replaced to the satisfaction of concerned department/owner.

Received

6/11/15

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
दुधवा टाड़गर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

(Irfan Ahmad)
Executive Engineer
N.H.Division, PWD,
Lakhimpur-Kheri

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक 530

1N.O.C

दिनांक 24.06.21

सेवा में,

जिओ डिजीटल फाईवर प्रा0लि0
द्वितीय तल प्लोर, सोलिटायर बिल्डिंग
फन रिपब्लिक माल के सामने गोमती नगर
लखनऊ। पिन नं0-226010

विषय:- लोक निर्माण विभाग के मार्ग के किनारे आर्टिकल फाईबर केबिल डालने हेतु अनापत्ति प्रदान करने व रोड साइड कटिंग के चार्ज अग्रिम जमा करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- जिओ डिजीटल फाईवर प्रा0लि0 का पत्र JDFPL/OFC/NLD/EAST/UP/Kharahana-Dhakekanak/01 दिनांक 21.06.2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा (1) बौधिया कला-उधवनगर-खीरीगढ़-सिंगाही मिदौरा मार्ग (ग्रामीण मार्ग) के चैनज 0.000 से 21.500 तक (लम्बाई 21.500 किमी0) (2) बिलरौया-पनवारी मार्ग (राज्य मार्ग स0-21) के चैनज 1.500 से 8.600 तक (लम्बाई 7.100 किमी0) (3) बिलरौया-मिदौरी-गुलरिया पत्थर शाह-बनवीरपुर-तिहुनिया-बरसोला कलौ-खैरटिहा-गिरजापुरी बैराज (ग्रामीण मार्ग) के चैनज 0.000 से 33.000 तक (लम्बाई 33.000 किमी0) - कुल लम्बाई 61.600। इस प्रकार मार्ग के किनारे कुल 61.600 किमी0 लम्बाई में एच0डी0डी0 विधि द्वारा आर्टिकल फाईबर केबिल डालने हेतु अनापत्ति चाही गयी है।

इस सम्बन्ध में प्रशासनिक व्यय एवं रोड साइड कटिंग सम्बन्धित प्रोफार्मा बिल निम्न विवरण के अनुसार आपको प्रेषित किया जा रहा है। कृपया बिल में दर्शायी गयी धनराशि रू0 11,44,480.00 (ग्यारह लाख चौवालीस हजार चार सौ अस्सी रुपये मात्र) रोड साइड कटिंग हेतु बैंक गारन्टी एवं रू0 61,600.00 (इकसठ हजार छः सौ रुपये मात्र) प्रशासनिक व्यय हेतु डिमान्ड ड्राफ्ट अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, लखीमपुर-खीरी के नाम से इस कार्यालय को जमा कराने का कष्ट करें, ताकि रोड कटिंग की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही की जा सके। यह ध्यान रखें कि सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने से पूर्व खुदाई का कार्य कदापि न कराया जाये।

प्रोफार्मा बिल				
क्रम सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	दर रू0	लागत (रू0 में)
1	बौधिया कला-उधवनगर-खीरीगढ़-सिंगाही मिदौरा मार्ग (ग्रामीण मार्ग) के चैनज 0.000 से 21.500 तक (लम्बाई 21.500 किमी0)			
	मिट्टी का कार्य- पिट्स = (21.500 x 5 + 1) = 109 नं0			
2	बिलरौया-पनवारी मार्ग (राज्य मार्ग स0-21) के चैनज 1.500 से 8.600 तक (लम्बाई 7.100 किमी0)			
	मिट्टी का कार्य- पिट्स = (7.100 x 5 + 1) = 37 नं0			
3	बिलरौया-मिदौरी-गुलरिया पत्थर शाह-बनवीरपुर-तिहुनिया-बरसोला कलौ-खैरटिहा-गिरजापुरी बैराज (ग्रामीण मार्ग) के चैनज 0.000 से 33.000 तक (लम्बाई 33.000 किमी0)			
	मिट्टी का कार्य- पिट्स = (33.000 x 5 + 1) = 166 नं0			
	मार्ग के कुल पिट्स = 311 नं0			
	क्षेत्रफल 311 x 2.0 m x 2.0 = 1244.00 वर्ग मी0	1244.00	920.00	1144480.00
4	प्रशासनिक व्यय 61.60 x 1000			61600.00
	कुल योग:-			1206080.00

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर/खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर।

2- सहायक अभियन्ता ()/अवर अभियन्ता (प्रा0), निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, लखीमपुर-खीरी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी।

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
दुधवा टाडगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

पंकज खेर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक 531

11.0.0

दिनांक 24.06.21

सेवा में,

जिओ डिजिटल फाईबर प्रा0लि0
द्वितीय तल प्लोर, सोलिटायर बिल्डिंग
फन रिपब्लिक माल के सामने गोमती नगर
लखनऊ। पिन नं0-226010

विषय- लोक निर्माण विभाग के मार्ग के किनारे आर्टिकल फाइबर केबिल डालने हेतु अनापत्ति प्रदान करने व रोड साइड कटिंग के चार्ज अग्रिम जमा करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- जिओ डिजिटल फाईबर प्रा0लि0 का पत्र JDFPL/OFC/NLD/EAST/UP/Gulariya Talukey-Nighasan-II/02 दिनांक 08.03.2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा (1) सिसैया-धीरहरा -निघासन-पलिया-धनौराघाट-पूरनपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-101) के चैनज 37.000 से 45.800 तक (लम्बाई 8.800 किमी0) (2) बिलरौया-पनवारी मार्ग (राज्य मार्ग सं0-21) के चैनज 18.700 से 19.100 तक (लम्बाई 0.400 किमी0) - कुल लम्बाई 9.200। इस प्रकार मार्ग के किनारे कुल 9.200 किमी0 लम्बाई में एच0डी0डी0 विधि द्वारा आर्टिकल फाइबर केबिल डालने हेतु अनापत्ति चाही गयी है।

इस सम्बन्ध में प्रशासनिक व्यय एवं रोड साइड कटिंग सम्बन्धित प्रोफार्मा बिल निम्न विवरण के अनुसार आपको प्रेषित किया जा रहा है। कृपया बिल में दर्शायी गयी धनराशि ₹0 1,76,640.00 (एक लाख छियत्तर हजार छः सौ चालीस रुपये मात्र) रोड साइड कटिंग हेतु बैंक गारन्टी एवं ₹0 9,200.00 (नौ हजार दो सौ रुपये मात्र) प्रशासनिक व्यय हेतु डिमान्ड ड्राफ्ट अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, लखीमपुर-खीरी के नाम से इस कार्यालय को जमा कराने का कष्ट करें, ताकि रोड कटिंग की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही की जा सके। यह ध्यान रखें कि सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने से पूर्व खुदाई का कार्य कदापि न कराया जाये।

प्रोफार्मा बिल				
क्रम सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	दर ₹0	लागत (₹0 में)
1	सिसैया-धीरहरा -निघासन-पलिया-धनौराघाट-पूरनपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-101) के चैनज 37.000 से 45.800 तक (लम्बाई 8.800 किमी0)			
	मिट्टी का कार्य- पिदस = (8.800 x 5 + 1) = 45 नं0			
2	बिलरौया-पनवारी मार्ग (राज्य मार्ग सं0-21) के चैनज 18.700 से 19.100 तक (लम्बाई 0.400 किमी0)			
	मिट्टी का कार्य- पिदस = (0.400 x 5 + 1) = 3 नं0			
	मार्ग के कुल पिदस = 48 नं0			
	क्षेत्रफल 48 x 2.0 m x 2.0 = 192.00 वर्ग मी0	192.00	920.00	176640.00
3	प्रशासनिक व्यय 9.20 x 1000			9200.00
	कुल योग:-			185840.00

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर/खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर।

2- सहायक अभियन्ता ()/अवर अभियन्ता (प्रा0), निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, लखीमपुर-खीरी।

दिनांक

प्रशासकीय वनाधिकारी

उत्तर खीरी तल प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)

दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी।

पंकज शर्मा (प्रबन्धक)

रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक 535

1/11.0.0C

दिनांक 24.06.21

सेवा में,

जिओ डिजिटल फाईवर प्रा0लि0
द्वितीय तल फ्लोर, सोलिटायर बिल्डिंग
फन रिपब्लिक माल के सामने गोमती नगर
लखनऊ। पिन नं0-226010

विषय- लोक निर्माण विभाग के मार्ग के किनारे आर्टिकल फाईबर केबिल डालने हेतु अनापत्ति प्रदान करने व रोड साइड कटिंग के चार्ज अग्रिम जमा करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- जिओ डिजिटल फाईवर प्रा0लि0 का पत्र JDFPL/OFC/NLD/EAST/UP/Tatarpur-Nighesan-II/02 दिनांक 19.03.2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा (1) झण्डी-शारदानगर एफलेक्स (बन्धा) मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनज 0.000 से 8.000 तक (लम्बाई 8.000 किमी0) (2) बिलरौया-पनवारी मार्ग (राज्य मार्ग सं0-21) के चैनज 19.100 से 26.000 तक (लम्बाई 6.900 किमी0) कुल लम्बाई 14.900। इस प्रकार मार्ग के किनारे कुल 14.900 किमी0 लम्बाई में एच0डी0डी0 विधि द्वारा आर्टिकल फाईबर केबिल डालने हेतु अनापत्ति चाही गयी है।

इस सम्बन्ध में प्रशासनिक व्यय एवं रोड साइड कटिंग सम्बन्धित प्रोफार्मा बिल निम्न विवरण के अनुसार आपको प्रेषित किया जा रहा है। कृपया बिल में दर्शायी गयी धनराशि रू0 2,81,520.00 (दो लाख इक्कासी हजार पाँच सौ बीस रुपये मात्र) रोड साइड कटिंग हेतु बैंक गारन्टी एवं रू0 14,900.00 (चौदह हजार नौ सौ रुपये मात्र) प्रशासनिक व्यय हेतु डिमान्ड ड्राफ्ट अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, लखीमपुर-खीरी के नाम से इस कार्यालय को जमा कराने का कष्ट करें, ताकि रोड कटिंग की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही की जा सके। यह ध्यान रखें कि सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने से पूर्व खुदाई का कार्य कदापि न कराया जाये।

प्रोफार्मा बिल				
क्रम सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	दर रू0	लागत (रू0 में)
1	झण्डी-शारदानगर एफलेक्स (बन्धा) मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनज 0.000 से 8.000 तक (लम्बाई 8.000 किमी0)			
	मिट्टी का कार्य- पिट्स = (8.000 x 5 + 1) = 41 नं0			
2	बिलरौया-पनवारी मार्ग (राज्य मार्ग सं0-21) के चैनज 19.100 से 26.000 तक (लम्बाई 6.900 किमी0)			
	मिट्टी का कार्य- पिट्स = (6.900 x 5 + 1) = 36 नं0			
	मार्ग के कुल पिट्स = 77 नं0			
	क्षेत्रफल 77 x 2.0 m x 2.0 = 306.00 वर्ग मी0	306.00	920.00	281520.00
3	प्रशासनिक व्यय 14.90 x 1000			14900.00
	कुल योग:-			296420.00

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी।

दिनांक

पत्रांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर/खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर।

2- सहायक अभियन्ता ()/अवर अभियन्ता (प्रा0), निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, लखीमपुर-खीरी।

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी बल प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,
लखीमपुर-खीरी।

पंकज खर (प्रबन्धक)
रिजर्वेशन जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-24

याचक विभाग के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है।


प्रभागीय विनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
 दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खेर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

10.31/2011-CS-III
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Telecommunications
Sanchar Bhavan, 20 - Ashoka Road
New Delhi - 110001

Dated: 23.06.2011

To

M/s INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED
C-157, PHASE-VII, INDUSTRIAL AREA,
MOHALI-160055, PUNJAB

Subject: Registration Certificate for Infrastructure Provider Category-I (IP-I)

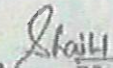
Please find enclosed herewith the Registration Certificate No. 370 / 2011 dated 23.06.2011 issued to M/s INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED.

The following points should be noted for strict compliance by IP-I Provider:

- (i) The scope of IP-I provider is limited to establish and maintain assets such as Dark Fibres, Right of Way, Duct Space and Tower for the purpose to grant on lease/rent/sale basis only to the licensed Telecom Service Providers licensed under Section - 4 of Indian Telegraph Act, 1885, on mutually agreed terms and conditions.
- (ii) The IP-I provider has to submit to DoT a copy of agreement entered into with the licensed Telecom Service Providers within 15 days of signing such agreement.
- (iii) Any breach of the terms and conditions given in the enclosed Registration Certificate will lead to cancellation of the registration without any further notice.


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी


पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ


23.06.2011
(S.K. Singh)
Section Officer (CS-III)
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

10/31/2011-CS-III
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Telecommunications
Sanchar Bhavan, 20, Ashoka Road
New Delhi-110001

Registration Certificate No.: 370 / 2011

Date: 23 .06.2011

Registration Certificate For Infrastructure Provider Category-I (IP-I)

This is to certify that M/s INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED with registered office at C-157, PHASE-VII, INDUSTRIAL AREA, MOHALI-160055, PUNJAB is registered as Infrastructure Provider Category I (IP-I) to establish and maintain the assets such as Dark Fibres, Right of Way, Duct Space and Tower for the purpose to grant on lease/rent/sale basis to the licensees of Telecom Services licensed under Section 4 of Indian Telegraph Act, 1885 on mutually agreed terms and conditions.

2.0 In no case the company shall work and operate or provide telegraph service including end to end bandwidth as defined in Indian Telegraph Act, 1885 either to any service provider or any other customer.

3.0 The company shall submit a copy of an Agreement entered into with the other service providers including Infrastructure Provider Category II (IP-II) within 15 days of signing of such Agreement.

4.0 The company shall provide the said infrastructure in a non-discriminatory manner.

5.0 In the event of any question, dispute or difference arising under this Registration, or in connection thereof, except as to the matter, the decision of which is specifically provided elsewhere under this Registration, the same shall be referred to the sole Arbitrator appointed and nominated by the Director General Telecommunications or by whatever designation Director General Telecom may be called, hereinafter called the "ARBITRAL TRIBUNAL".

5.1 This Registration Certificate and any dispute thereof shall be governed by the substantive provisions of Indian law.

5.2 The venue of Arbitration shall be New Delhi or as may be fixed by the ARBITRAL TRIBUNAL anywhere in India.

5.3 The arbitration proceedings shall be conducted in accordance with the provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 and rules framed thereunder or any modifications or re-enactment thereof made from time to time.


प्रभाकर वनाधिकारी
उत्तर खोरी वन प्रभाग /
उप निदेशक (बफर जोन)
दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खोरी


पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

6.0 The Registered company can provide the infrastructure as stated above to any licensee of Tele. /s services Licensed under section 4 of the Indian Telegraph Act 1885. The company shall, in no case, grant in any manner the infrastructure to any erstwhile licensee whose licence is either terminated or suspended or not in operation at given point of time. In the event of any infrastructure allowed before hand, then the Registered company shall be obliged to withdraw the grant of infrastructure and to disconnect or sever connectivity immediately without loss of time and further, upon receipt of any reference from the Licensor in this regard, disconnection shall be made effective within an hour of receipt of such reference. On the question of disconnectivity the decision of the Director General Telecom shall be final.

7.0 The Registered company shall provide necessary facilities depending upon the specific situation at the relevant time to the Government to counteract espionage, subversive act, sabotage or any other unlawful activity.

7.1 The Registered company shall make available on demand to the agencies authorized by the Government of India, full access to the network for technical scrutiny and for inspection which can be visual inspection or any operational inspection.

7.2 All foreign personnel likely to be deployed by the Registered company for installation, operation and maintenance of the Registered company network shall be security cleared by the Government of India prior to their deployment. The security clearance will be obtained from the Ministry of Home Affairs, Government of India, who will follow standard norms in the matter.

7.3 The Registered company shall ensure protection of privacy of communication and ensure that unauthorized interception of messages does not take place.

7.4 The Government shall have the right to take over the equipment and networks of the Registered company or revoke/terminate/suspend the Registration of the company either in part or in whole as per directions if any, issued in the public interest by the Government in case of emergency or war or low intensity conflict or any other eventuality. Provided any specific orders or direction from the Government issued under such conditions shall be applicable to the Registered company and shall be strictly complied with. Further, the Government reserves the right to keep any area out of the operation zone of the service if implications of security so require.

7.5 Government reserves the right to modify these conditions or incorporate new conditions considered necessary in the interest of national security and public interest.

7.6 The Registered company will ensure that the Telecommunication installation carried out by it should not become a safety hazard and is or in contravention of any statue, rule or regulation and public policy.

8.0 Any breach of the above terms will lead to cancellation of the registration without any further notice.

To
M/s INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED
C-157, PHASE-VII, INDUSTRIAL AREA, MOHALI-160055, PUNJAB


21.6.2011
(S.T.Abbas)
DIRECTOR (CS-III)
(एन. टी. अबास, ए. टी. आर.डी.)
निदेशक (सी-III)
Director (CS-III)
संचालन विभाग, भारत सरकार
Ministry of Telecom, Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग /
उप निदेशक (वफर जोन)
दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी


पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

भारत सरकार-कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, महाराष्ट्र, मुंबई

नाम परिवर्तन के पश्चात नया निगमन प्रमाण-पत्र

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U72900MH2007PLC234712

मैसर्स INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED

के मामले में, मैं एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि मैसर्स
INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED

जो मूल रूप में दिनांक पंद्रह फरवरी दो हजार सात को कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत मैसर्स
INFOTEL BROADBAND SERVICES PRIVATE LIMITED

के रूप में निगमित की गई थी, ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 21 की शर्तों के अनुसार विहित आवश्यक शिनायत प्राप्त करके तथा
लिखित रूप में यह सूचित करके की उसे भारत का अनुमोदन, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 21 के साथ पठित, भारत सरकार, कंपनी कार्य
विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 507 (अ) दिनांक 24.0.1985 एस्.आर.एन. B66053604 दिनांक 22/01/2013 के द्वारा
प्राप्त हो गया है, उक्त कंपनी का नाम आज परिवर्तित रूप में मैसर्स
Reliance Jio Infocomm Limited

हो गया है और यह प्रमाण-पत्र, कथित अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसरण में जारी किया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र मुंबई में आज दिनांक बाईस जनवरी दो हजार तेरह को जारी किया जाता है।

GOVERNMENT OF INDIA - MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai

Fresh Certificate of Incorporation Consequent upon Change of Name

Corporate Identity Number : U72900MH2007PLC234712

In the matter of M/s INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED

I hereby certify that INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED which was originally incorporated on Fifteenth day of February Two Thousand Seven under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) as INFOTEL BROADBAND SERVICES PRIVATE LIMITED having duly passed the necessary resolution in terms of Section 21 of the Companies Act, 1956 and the approval of the Central Government signified in writing having been accorded thereto under Section 21 of the Companies Act, 1956, read with Government of India, Department of Company Affairs, New Delhi, Notification No. G.S.R 507 (E) dated 24/06/1985 vide SRN B66053604 dated 22/01/2013 the name of the said company is this day changed to Reliance Jio Infocomm Limited and this Certificate is issued pursuant to Section 23(1) of the said Act.

Given at Mumbai this Twenty Second day of January Two Thousand Thirteen.

Digitally signed
by Registrar of Companies
of Maharashtra, Mumbai

Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai

कंपनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र, मुंबई

*Note: The corresponding form has been approved by ANURADHA BHASKAR ATHAVALE, Deputy Registrar of Companies and this certificate has been digitally signed by the Registrar through a system generated digital signature under rule 5(2) of the Companies (Electronic Filing and Authentication of Documents) Rules, 2008.

The digitally signed certificate can be verified at the Ministry website (www.mca.gov.in).

कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध पत्राचार का पता :

Mailing Address as per record available in Registrar of Companies office:

Reliance Jio Infocomm Limited
3rd Floor, Maker Chambers IV., 222, Nariman Point.,
Mumbai - 400021
Maharashtra, INDIA

For Reliance Jio Infocomm Limited

पंकज खेर (प्रबन्धक)

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

लखनऊ

Company Secretary

पंकज खेर (प्रबन्धक)

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

लखनऊ

प्रमाणित प्रबन्धकारी

उत्तर खीरी वन प्रभाग /

उप निदेशक (बफर जोन)

दुधवा टाइगर रिजर्व

नखीमपुर-खीरी

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-25

याचक विभाग यह वचनबद्धता दी जाती है सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-26

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क (Sanctuary/National Park) में सम्मिलित नहीं है।


प्रभागीय तन्त्राधिकारी
उत्तर खीरी जन प्रभाग/
उप निदेश (बफर जोन)
 दुधवा तालाब रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड


पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
दुधवा तालाब (जंगल)
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असाम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-27

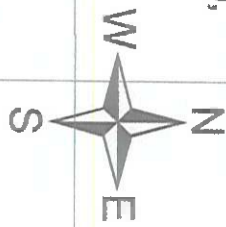
याचक विभाग द्वारा भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र कम्पनी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी बन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
 दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

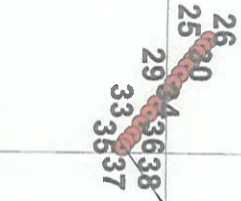
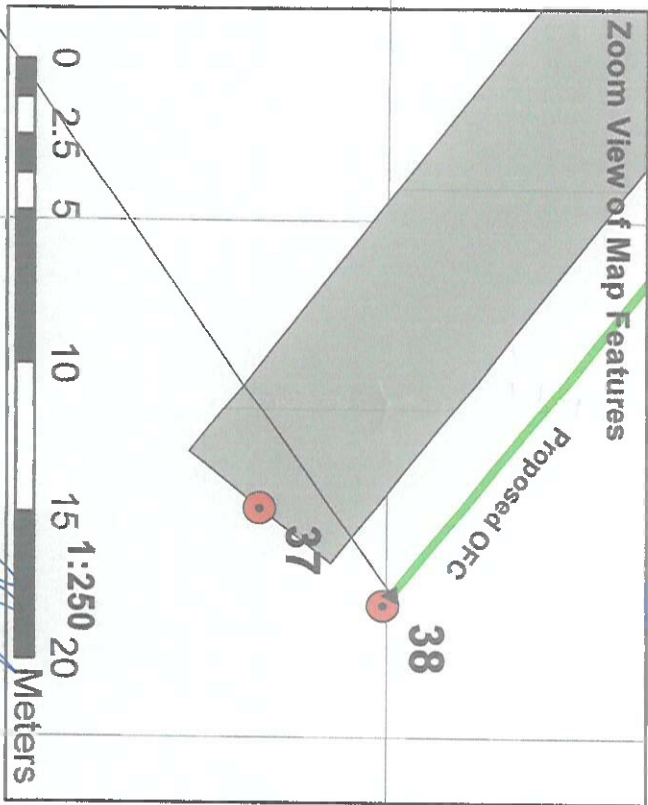
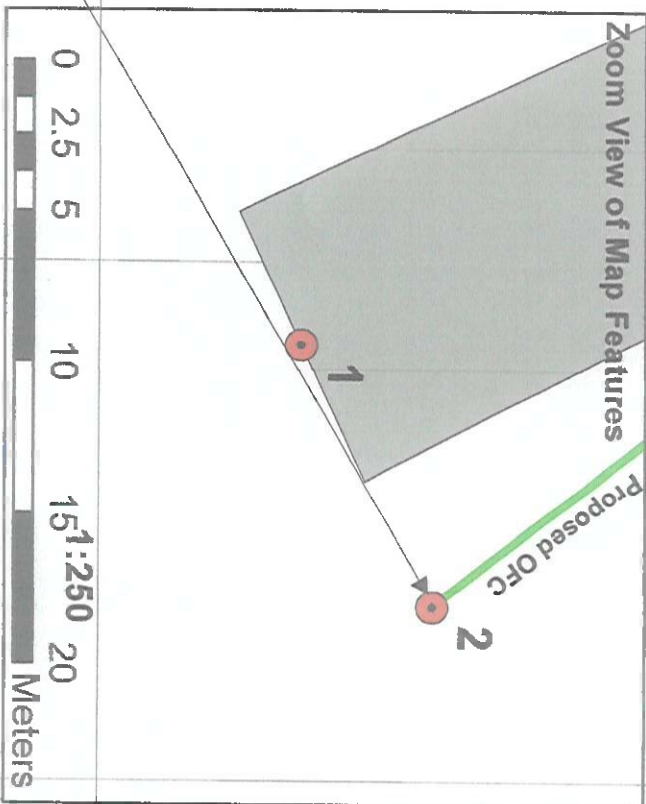
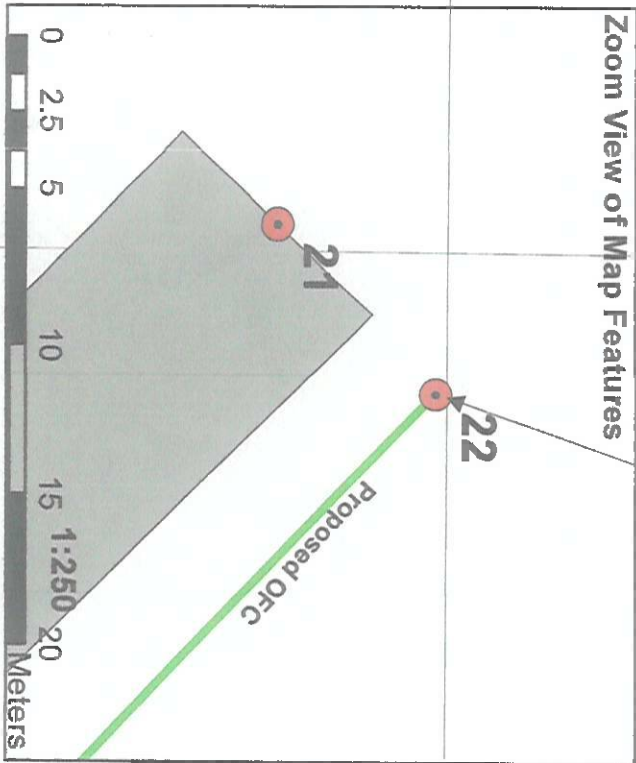
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Georeferenced Map of Proposed Reliance 4G Project for Laying of Optical Fibre Cable (OFC) along with road on SH-101 (Palia - Trikulia - Khajuria Road) from Km. 82.20 to Km.119.50, & NH-730 (Pilibhit - Betia - Assam Road) from Km. 88.00 to Km. 92.50, Total Km. 41.80 & 0.4406 Ha in North Kheri Forest Division, District: Lakhimpur Kheri - UP.



GPS Coordinates

Sr. No.	Longitude	Latitude
1-	80.578808°E	28.425517°N
2-	80.578896°E	28.425556°N
3-	80.528645°E	28.446451°N
4-	80.528664°E	28.446502°N
5-	80.492013°E	28.461505°N
6-	80.492061°E	28.461529°N
7-	80.483380°E	28.475715°N
8-	80.483384°E	28.475766°N
9-	80.458626°E	28.490644°N
10-	80.458685°E	28.490655°N
11-	80.448957°E	28.535611°N
12-	80.449010°E	28.535621°N
13-	80.424803°E	28.566221°N
14-	80.424850°E	28.566260°N
15-	80.409190°E	28.591567°N
16-	80.409243°E	28.591599°N
17-	80.383252°E	28.617166°N
18-	80.383270°E	28.617224°N
19-	80.366247°E	28.620982°N
20-	80.366306°E	28.621040°N
21-	80.340386°E	28.642676°N
22-	80.340442°E	28.642723°N
23-	80.362255°E	28.137662°N
24-	80.362307°E	28.137719°N
25-	80.364697°E	28.135998°N
26-	80.366799°E	28.134384°N
27-	80.369140°E	28.132788°N
28-	80.371393°E	28.131118°N
29-	80.373825°E	28.129414°N
30-	80.376927°E	28.127319°N
31-	80.380083°E	28.125063°N
32-	80.383790°E	28.122361°N
33-	80.387010°E	28.120144°N
34-	80.390506°E	28.117635°N
35-	80.394085°E	28.115121°N
36-	80.396292°E	28.113486°N
37-	80.397985°E	28.112224°N
38-	80.398019°E	28.112261°N



Kilometers

(Signature)
उत्तर कोशी जल प्रभाग
उप निदेशक (प्रकर जोन)
दुधवा, अमर सिंह

पंकज खर (प्रबंधक)
रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

Legend

- GPS Coordinates
- Proposed OFC
- Road

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-28

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान मक का उत्तसर्जन नहीं होगा अतः मक डिस्पोजल योजना लागू नहीं होती है जिसके संबंधी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रमाण/
उप निदेशक (बफर जोन)
 दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Name of project:- Reliance 4G Project for Laying of Optical Fibre Cable (OFC) along with road on SH-101 (Palia-Trikulia-Khajuria Road) from Km. 82.20 to Km. 119.50, NH-730 (Pilibhit-Betia-Assam Road) from Km. 88.00 to Km. 92.50 & SH-21 (Bilraya-Panwari Road) from Km 1.50 to Km 8.60 and from Km. 18.70 to Km. 26.00. Total Km. 56.20 & 0.5924 Ha. in North Kheri Forest Division, District Lakimpur Kheri-UP.

MUCK DISPOSAL PLANNING

This is not applicable for this project

	Details	Quantity	Unit
	Material received from hill side	Nil	Cum
	Material received from hill cutting including 40% of swell factor.	Nil	Cum
	Total	Nil	Cum
	Disposal and material	Nil	Cum
1.	R.R. Stone masonry laid 1:5	Nil	Cum
2.	R.R. Stone masonry laid dry	Nil	Cum
3.	Hand packed stone filling	Nil	Cum
4.	Construction of wire crate	Nil	Cum
5.	Construction of parapet	Nil	Cum
6.	Granular of sub base / base / surface	Nil	Cum
7.	Construction of scrapper.	Nil	Cum
8.	Construction of road side drain.	Nil	Cum
9.	Super elevation and patria filling	Nil	Cum
10.	Concrete work	Nil	Cum
11.	Total	Nil	Cum
12.	Material disposal by cartage	Nil	Cum

Summary of Debris Disposal.

S.No.	Total Material	Material Disposal	Reused material for road construction	Total Disposal in dumping zone
	Nil	Nil	Nil	Nil


प्रभागीय वनाधिकारी
 उत्तर खीरी वन प्रभाग/
 उप निदेशक (बफर जोन)
 दुधवा टाईगर रिजर्व
 लखीमपुर-खीरी


 पंकज खेर (प्रबन्धक)
 रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
 लखनऊ

Name of project:- Reliance 4G Project for Laying of Optical Fibre Cable (OFC) along with road on SH-101 (Palia-Trikulia-Khajuria Road) from Km. 82.20 to Km. 119.50, NH-730 (Pilibhit-Betia-Assam Road) from Km. 88.00 to Km. 92.50 & SH-21 (Bilraya-Panwari Road) from Km 1.50 to Km 8.60 and from Km. 18.70 to Km. 26.00. Total Km. 56.20 & 0.5924 Ha. in North Kheri Forest Division, District Lakimpur Kheri-UP.

DETAIL OF MUCK DISPOSAL SITES

S No.	Location of dumping yard	Owner of land	Khasra no	Area (Hact)	Height of dumping Zone(m)	Capacity of dumping zone	Longitude /Latitude
	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

This is not applicable for this project.

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बकर जौन)
दुधवा टाइटन रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

Name of project:- Reliance 4G Project for Laying of Optical Fibre Cable (OFC) along with road on SH-101 (Palia-Trikulia-Khajuria Road) from Km. 82.20 to Km. 119.50, NH-730 (Pilibhit-Betia-Assam Road) from Km. 88.00 to Km. 92.50 & SH-21 (Bilraya-Panwari Road) from Km 1.50 to Km 8.60 and from Km. 18.70 to Km. 26.00. Total Km. 56.20 & 0.5924 Ha. in North Kheri Forest Division, District Lakimpur Kheri-UP.

Certificate of Muck Disposal

This is certify that for Laying of Optical Fiber Cable (OFC) along with road on SH-101 (Palia-Trikulia-Khajuria Road) from Km. 82.20 to Km. 119.50, NH-730 (Pilibhit-Betia-Assam Road) from Km. 88.00 to Km. 92.50 & SH-21 (Bilraya-Panwari Road) from Km 1.50 to Km 8.60 and from Km. 18.70 to Km. 26.00. Total Km. 56.20 & 0.5924 Ha. in North Kheri Forest Division, District Lakhimpur Kheri in state of Uttar Pradesh the excavated material/Muck generated shall be "NIL". The entire quantity of excavated material will be reused for back filling of pits for the project and therefore no disposal is required.


प्रभाकर वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी


पंकज टार (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-29

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना स्थल के आस पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हरसंभव उपाय किया जाएगा।


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
 दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
चक्रज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असाम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-30

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रत्यावर्ती वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक होगा तो भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करा जायेगा।


प्रभाग वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
 दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खन्ना (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राजमार्ग संख्या-101 (पलिया-खजुरिया-त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 (पीलीभीत-बेतिया-असाम मार्ग) के किमी0 88.00 से किमी0 92.50 एवं राजमार्ग संख्या-21 (बिलरौया-पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से किमी0 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHERS/41408/2019.

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं0-31

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
 दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खेर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता